शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

3121198242

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2011 / 748 **भोपाल, दिनांक** 19.1.12

प्रति,

समस्त जिला परियोजना समन्वयक
मध्यप्रदेश

विषयः—शिक्षा का अधिकार अधिनियम : प्रायवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र क्र. / राशिके / आरटीई / 2011 / 11185 भोपाल, दि016.12.2011

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री–स्कूल की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिए जाने के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। सभी जिलों द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

2— निर्देशों के अनुसार कार्यवाही में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसकी तरफ कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कर तत्काल निराकरण किया जायें। इस कार्य में जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का भी सहयोग लिया जाये।

3—तत्पश्चात् निम्नांकित बिंदुओ की कार्यवाही के पालन का प्रमाण पत्र दिनांक 23.01.2012 तक ईमेल द्वारा rskrtecell@gmail.com पर भेजें।

(i) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पत्र दिनांक 16.12.2011 द्वारा 25 प्रतिशत भर्ती के संबंध में जो विस्तृत निर्देश जारी किए गए है, उस निर्देश की प्रति सभी प्रायवेट स्कूलों को उपलब्ध करा दी गई है।

(ii) प्रायवेट स्कूल के प्राचार्यो / प्रधान अध्यापकों की बैठक आयोजित कर नए शैक्षणिक सत्र में 25 प्रतिशत प्रवेश के बारे में अवगत करा दिया गया है।

(iii) दिनांक 31 जनवरी 2012 को स्कूल स्तर पर लाटरी द्वारा प्रवेश की प्रकिया की व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए स्कूल बार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

(iv) प्रायवेट स्कूलों के पड़ोस / पड़ोस की सीमा / पड़ोस की विस्तारित सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों / बार्डो की सूची तैयार कर स्कूलों को दे दी गई है।

D;nitu\letter&notsheet
64

(v) स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को प्रवेश की प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए उन्मुखीकरण कर दिया गया है।

(vi) आंगनबाड़ी में नामांकित 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को अधिनियम के 25 प्रतिशत प्रवेश के प्रावधान की जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कर दिया गया है।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल,दिनांक 19.1.12

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2011 / 749
प्रतिलिपिः—

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त संयुक्त सचालक, लोक शिक्षण संभाग म.प्र.
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र.

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल (म.प्र.)